रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 1993/श्रावण 6, 1915
No. 455] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 1993/SRAVANA 6, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1993

का. आ. 580(अ):—यतः केन्द्र सरकार का मत है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई इस मंत्रालय की दिनांक 8-6-89 की अधिसूचना सं. का. आ. 416(अ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिक भार अर्थात् अधिकतम सुरक्षित लदे भार और वाहन की प्रत्येक धुरी का अधिकतम सुरक्षित धुरी भार की नीचे दी गई तालिका के कालम (1) में विनिर्दिष्ट किस्म के वाहनों के लिए उक्त तालिका के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानों में अनुमति दी जाए :

इसलिए अब उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त, उप-धारा (3) के उपबंध उक्त तालिका के नीचे आगे विनिर्दिष्ट संशोधनों/शर्तों के अध्यधीन उक्त किस्म के वाहनों पर इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगे :—

तालिका

वाहन की किस्म	प्रचालन का स्थान (मार्ग)	वाहन का सकल भार	पंजीकृत धुरी भार	समस्त परिमाप
1	2	3	4	5
2 धुरियों वाला चौपहिया		21,500 कि.ग्रा.	अगली धुरी का भार 10.750 कि. ग्राम	कुल लम्बाई 6170 मि.मी.
स्प्रंग चैसिसफुल ट्रेलर			पिछली धुरी का भार 10.750 कि. ग्राम	कुल चौड़ाई 2500 मि.मी. कुल ऊंचाई 2600 मि.मी.
मैसर्स महिन्द्रा इंजीनियरिंग एंड कैमीकल प्रॉडक्ट लि., पिम्परी, पुणे का चैसी सं. एस-1573				

उक्त छूट निम्नलिखित संशोधनों/शर्तों के अध्यधीन है :—

(1) महाराष्ट्र राज्य की सरकार के लो. नि. वि. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विभिन्न सड़कों पर भार प्रतिबंध का पालन किया जाएगा और वाहनों को सार्वजनिक सड़क पर लाने से पहले ऐसे प्राधिकरणों की अनुमति प्राप्त की जाएगी ।

(2) इस राज्य में सड़कों के पुलों के ऊपर से लदे ट्रेलरों के गुजरने की अनुमति नहीं होगी लो. नि. वि. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदक को नदियां-नाले पार करने के लिए स्वयं प्रबंध करने होंगे।

(3) चूंकि वाहन में हवादार टायर नहीं लगे होते हैं, इसलिए इसे सार्वजनिक स्थान में तब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक इसमें शूज अथवा अन्य उपयुक्त युक्तियां न लगा दिए जाएं ताकि ऐसे वाहनों के चलने से सड़कें क्षतिग्रस्त न हों ।

[म. आर टी-11042/3/91-एम वी एल]
सी. एम. खेरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

ORDER

New Delhi, the 28th July, 1993

S.O. 580(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that heavier weight that the maximum safe laden weight and the maximum safe axle weight of each axle of the vehicle as specified in this Ministry's Notification No. S.O. 416(E) dated 8-6-89 issued under sub-section (1) of section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) may be permitted or the vehicle of the type specified in column (1) of the table given below in the locality specified in column (2) of the said table :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 58 of the said Act, the Central Government hereby directs that the provisions of the said sub-section (3) shall apply to the said type of vehicle for a period of one year from the date of this order subject to the modifications/conditions specified hereunder below the said table :

TABLE

Type of vehicle	Locality of operation (route)	Gross veicle weight	Registered axle weight	Overall dimensions
2 axled 4 wheelers		21,500 kg.	Front axle load–10.750 kg	Overall length-6170 mm
Sprung chassisfull trailer			Rear axle load-10.750 kg	Overall width-2500 mm
				Overall height 2600 mm
Chassis No. S-1573 belonging to M/s. Mahindra Engineering and Chemical Product Ltd. Pimpri, Pune.				

The above relaxation is subject to the following modifications/conditions:—

(1) load restrictions on various roads, stipulated by the PWD local authorities of State Government of Maharashtra shall be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are brought on public road.

(2) loaded trailers will not be allowed to pass over the bridges on roads in this State and the applicant will have to make their own arrangements to cross rivers, nallas as directed by the PWD.

(3) Since the vehicle is not fitted with pneumatic tyres, it shall not be used in a public place unless it is fitted with shoes or other suitable device, so that plying of such vehicles does not damage the road.

[No. RT-11042/3/91-MVL]

C.S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993